

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल प्रथम अपील संख्या 338/2015

नगर पालिका मंडल, झुंझुनू (नगर पालिका बोर्ड) आयुक्त, नगर पालिका मंडल, झुंझुनू के माध्यम से।

-----अपीलकर्ता-वादी

बनाम

1. अर्जुन राम पुत्र बालू राम, आयु लगभग 72 वर्ष, निवासी
ढाणी गुजारान तान ग्राम उदावास, तहसील व जिला - झुंझुनू।
2. करणी राम पुत्र माली राम, आयु लगभग 67 वर्ष, निवासी
पूरा की ढाणी, जिला - झुंझुनू।

-----प्रतिवादीगण-प्रतिवादी

अपीलकर्ता (ओं) के लिए	:	श्री आर.के. माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री आदित्य माथुर और श्री लकी शर्मा।
प्रतिवादीगण के लिए	:	श्री एल.एल. गुप्ता। श्री प्रखर गुप्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार जैन

निर्णय

रिपोर्ट करने योग्य22/03/2024

1. सिविल वाद संख्या 5/2012 (101/2008)(81/2008) में दिनांक 15.04.2015 के निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर यह प्रथम अपील दायर की गई है, जिसके द्वारा विद्वान अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, झुंझुनू ने अपीलकर्ता-वादी द्वारा दायर घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के सिविल वाद को खारिज कर दिया है।
2. इस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 13.12.2023 को एसएलपी (सिविल) डायरी संख्या 46786/2023 का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की है कि मामले को निपटारे के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर विचार करने के बाद, हम इस प्रथम अपील का निपटारा कर रहे हैं।
4. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने वी. राजेश्वरी बनाम टी.सी. सरवनबावा: 2004 (1) एससीसी 551; केनरा बैंक बनाम एन.जी. सुब्बाराया सेट्टी एंड अन्य: (2018) 16 एससीसी 228; शकुंतला देवी बनाम कमला एंड अन्य: (2005) 5 एससीसी 390; गुरुचरणसिंह और अन्य बनाम श्रीमती गुरदयाल कौर और अन्य: एआईआर 1982 (राज.) 91; गुरबक्स सिंह बनाम भूरालाल: एआईआर 1964 एससी 1810 और श्रीमती कौशल्य देवी बनाम

राजस्थान राज्य: आरएलडब्ल्यू 1989(2) 380 के मामलों में निर्णयों पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने मुद्दा संख्या 1, 2, 3, 5, 6 और 7 पर निष्कर्ष दर्ज किए बिना सिविल वाद को केवल मुद्दा संख्या 12 के आधार पर खारिज कर दिया है और यह विधि के प्रावधानों के विरुद्ध है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 को आकर्षित करने के लिए मूल सिद्धांत हैं, लेकिन विचारण न्यायालय उपर्युक्त पर विचार करने में विफल रहा है। उन्होंने विशेष रूप से इस तथ्य का उल्लेख किया कि विचारण न्यायालय को यह विचार करना आवश्यक था कि वर्तमान वाद में उठाया गया मुद्दा पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्ष और सारवान रूप से विचाराधीन था, लेकिन यहां, विचारण न्यायालय ने न तो यह राय दी कि पिछले वाद में उठाया गया मुद्दा वही था जो अपीलकर्ता-वादी द्वारा इस वाद में उठाया गया था, इसलिए, परवर्ती वाद सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 से प्रभावित है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीगण पिछले कार्यवाही के अभिवचन को रिकॉर्ड पर रखने में विफल रहे, जिसे प्रतिवादीगण ने वर्तमान भूमि पर अंतिम निर्णय के रूप में दावा किया था।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पहले से तय किए गए मामलों के अभिवचन के अभाव में, विचारण न्यायालय अपीलकर्ता-वादी के विरुद्ध मुद्दा संख्या 12 का निर्णय नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XIV के प्रावधानों के अनुसार सभी मुद्दों का निर्णय करना विचारण न्यायालय का

कर्तव्य था। उन्होंने विचारण न्यायालय द्वारा की गई प्रक्रियात्मक चूक को भी उठाया और प्रस्तुत किया कि यदि कोई मुद्दा, यदि वह एक कानूनी मुद्दा है, तो उसे पूर्ण विचारण का सहारा लिए बिना पहले मुद्दे के रूप में तय किया जाना चाहिए, लेकिन विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के सिविल वाद को खारिज करने से पहले सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों पर विचार नहीं किया है। उन्होंने प्रतिवादीगण द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों का भी उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि राजस्व अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील में खातेदारी अधिकार की घोषणा होने तक, वर्तमान अपीलकर्ता-वादी यहां एक पक्ष नहीं था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि परवर्ती कार्यवाही में किसी भी चुनौती को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 को आकर्षित करने के लिए एक उचित कार्यवाही नहीं माना जा सकता है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने न केवल न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन किया है, बल्कि उसने मामले का निर्णय अत्यंत सरसरी और सांकेतिक तरीके से किया है। अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अन्य मुद्दों पर निष्कर्ष रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं हैं, ताकि मामले का अंतिम निर्णय किया जा सके।

6. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपर्युक्त तर्कों का इस आधार पर विरोध किया गया कि अपीलकर्ता-वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है और विचारण न्यायालय ने दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, जिसमें 19.03.1984 से 23.07.2008 तक विवादित संपत्ति से संबंधित मुकदमेबाजी शामिल

है, मुद्दा संख्या 12 का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में सही ढंग से किया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने केवल न्यायनिर्णीत विषय के आधार पर वाद को खारिज करते हुए कोई त्रुटि नहीं की है और मुद्दा संख्या 12 को पहले कानूनी मुद्दे के रूप में तय करते हुए कोई त्रुटि नहीं की है। उन्होंने सत्यनाथ और अन्य बनाम सरोजमणि: (2022) 7 एससीसी 644; सुलोचना अम्मा बनाम नारायणन नायर: (1994) 2 एससीसी 14; गुलाबचंद बनाम गुजरात राज्य: एआईआर 1965 एससी 1153; दादू दयालु महासभा, जयपुर (ट्रस्ट) बनाम महंत राम निवास: (2008) 11 एससीसी 753; कमिश्नर ऑफ एंडोमेंट्स एंड अन्य बनाम विट्ठल राव एंड अन्य: (2005) 4 एससीसी 120 और अब्दुल रहमान बनाम प्रसनी बाई और अन्य: (2003) 1 एससीसी 488 के मामले में निर्णयों पर भरोसा किया ताकि विचारण न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णीत विषय के सिद्धांत को आकर्षित करने के अपने तर्कों को पुष्ट किया जा सके।

7. उन्होंने आगे रामचंद्र दगडू सोनावने (मृत) द्वारा कानूनी उत्तराधिकारी और अन्य बनाम विठू हीरा महार (मृत) द्वारा कानूनी उत्तराधिकारी और अन्य: (2009) 10 एससीसी 273 के मामले में निर्णयों पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि यहां तक कि निषेधाज्ञा के किसी अन्य वाद में भी, यदि पक्षकारों के बीच शीर्षक का आकस्मिक रूप से निर्धारण किया गया था, तो भी वही न्यायनिर्णीत विषय के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि राजस्व अपीलीय प्राधिकारी ने अपने दिनांक 10.12.1985 के निर्णय में प्रतिवादीगण

के पक्ष में खातेदारी (भूमि धारण का अधिकार) घोषित किया है और उपर्युक्त के बाद सभी कार्यवाहियों में, प्रतिवादीगण के अधिकार पुष्ट और मजबूत हुए हैं, इसलिए, वादग्रस्त संपत्ति का स्वामित्व प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णायक रूप से स्थापित हो गया था। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के पक्ष में मुद्दा संख्या 12 का निर्णय करते हुए कोई त्रुटि नहीं की है। उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक समन्वय पीठ के खजान सिंह बनाम हरियाणा राज्य: आर.एस.ए. संख्या 571/2012 के मामले में और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम मनीषराज: द्वितीय अपील संख्या 114/2019 (छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय) के मामले में निर्णय पर भी भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय के लिए अन्य सभी मुद्दों का निर्णय करना आवश्यक नहीं है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि यदि विचारण न्यायालय की राय थी कि केवल एक मुद्दे के आधार पर वाद को खारिज किया जा सकता है, तो वह केवल एक मुद्दे का निर्णय कर सकता है और अन्य मुद्दों को अनिर्णीत छोड़ सकता है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने मुद्दा संख्या 12 को पहले मुद्दे के रूप में सिविल वाद को खारिज करते हुए कोई त्रुटि नहीं की है। अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीगण 1984 से मुकदमेबाजी का सामना कर रहे हैं और अभी भी अपीलकर्ता-वादी ने प्रतिवादीगण के शीर्षक को चुनौती दी है, इसलिए, अपील को भारी लागत के साथ खारिज किया जाना आवश्यक है।

8. अपीलकर्ता-वादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रतिवादीगण-प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। दोनों पक्षों द्वारा संदर्भित निर्णयों के साथ संक्षिप्त सारांश का भी अवलोकन किया गया।
9. संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता-वादी ने जिला न्यायाधीश, झुंझुनू के समक्ष घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक सिविल वाद दायर किया था, जिसे विधि के अनुसार निपटारे के लिए विद्वान अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, झुंझुनू को स्थानांतरित कर दिया गया था। वादपत्र में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार, खसरा संख्या 535 की भूमि एक सरकारी नर्सरी भूमि थी जिसका माप 49 बीघा और 09 बिस्वा था और इसमें से 39 बीघा 14 बिस्वा भूमि राजस्थान आवासन मंडल को 19.07.1975 को मकानों के निर्माण के लिए आवंटित की गई थी। शेष 08 बीघा भूमि बोर्ड के उद्देश्य के लिए उपयोग की गई थी और 01 बीघा दयानंद महिला शिक्षा संस्थान, झुंझुनू को आवंटित की गई थी। उपर्युक्त के बाद, खसरा संख्या 535 की कोई भूमि नगर पालिका बोर्ड के पास नहीं बची है। राज्य सरकार ने दिनांक 19.07.1975 के आदेश द्वारा वादी को आवासीय विस्तार योजना के लिए 39 बीघा 15 बिस्वा भूमि आवंटित की और तब से, वादी भूमि के कब्जे में है। वादी के अनुसार, उपर्युक्त भूमि में से 08 बीघा 07 बिस्वा राजस्थान आवासन मंडल को आवंटित की गई थी और 08 बीघा भूमि पर सड़क का

निर्माण किया गया था। खसरा संख्या 535/1 की लगभग 1663 वर्ग गज भूमि जिसका माप 39 बीघा और 15 बिस्वा था, शहर में स्थित थी जैसा कि वादी ने वादपत्र में उल्लेख किया है और वही 1975 से वादी के कब्जे में है।

10. वादी के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 ने सहायक कलेक्टर, झुंझुनू के समक्ष खसरा संख्या 535/2 में 10 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित करने के लिए एक वाद दायर किया था, जिसका निर्णय 19.03.1984 को किया गया था और वाद खारिज कर दिया गया था, जिसमें यह माना गया था कि अर्जुन राम का उपर्युक्त भूमि से कोई संबंध नहीं था। वादी-अपीलकर्ता न तो एक पक्ष था और न ही उसे एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया था। उसके बाद, प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील संख्या 11/1984 दायर की और 10.12.1985 को, सहायक कलेक्टर द्वारा दिनांक 19.03.1984 को पारित निर्णय को रद्द कर दिया गया और प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में डिक्री पारित की गई, जिसमें भी वादी एक पक्ष नहीं था। वादी ने उसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या 4675/1994 दायर की और दिनांक 07.10.1996 के निर्णय द्वारा, यह माना गया कि वादी राजस्व अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय से बाध्य नहीं है। रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा 26.07.2001 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि मामला भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के दायरे में नहीं आता है। वादी ने एक विविध

आवेदन संख्या 772/2001 दायर किया है और वही वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने के आधार पर वापस ले लिया गया था। वादी को एक सिविल वाद दायर करने का अधिकार है, इसलिए वादी के पक्ष में घोषणा और प्रतिवादीगण को वादग्रस्त संपत्ति के कब्जे और उपभोग में हस्तक्षेप न करने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक वाद दायर किया।

11. प्रतिवादीगण द्वारा एक लिखित बयान दायर करके उपर्युक्त तर्कों का विरोध किया गया, जिसमें उन्होंने वादपत्र के कथनों से इनकार किया है और आगे यह दावा किया है कि वादी और प्रतिवादीगण के बीच विवाद खसरा संख्या 535/2 का था क्योंकि खसरा संख्या 535 और 535/2 अलग-अलग भूमि हैं और दोनों को राजस्व अभिलेखों में अलग-अलग दर्ज किया गया था। प्रतिवादीगण ने कहा कि खसरा संख्या 535/2 का माप 09 बीघा और 15 बिस्वा है और जिसमें से 08 बीघा और 07 बिस्वा भूमि राजस्थान आवासन मंडल को आवंटित की गई थी, लेकिन उसके बाद भी 01 बीघा और 05 बिस्वा भूमि शेष है, जिसके लिए, वादी ने वादपत्र में कोई कथन नहीं किया है। प्रतिवादीगण ने आगे प्रस्तुत किया कि खसरा संख्या 535/2 में से दयानंद महिला शिक्षा संस्थान, झुंझुनू को कोई भूमि आवंटित नहीं की गई थी। इसके अलावा, इस कथन का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेज दायर नहीं किया गया था कि 08 बिस्वा भूमि सड़क के लिए उपयोग की गई थी। प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। प्रतिवादीगण

के अनुसार, खसरा संख्या 535/2 खातेदारी की भूमि है, जो प्रतिवादी संख्या 1 और 2 से संबंधित है और 11 बिस्वा का क्षेत्र गलती से खसरा संख्या 535/1 का हिस्सा दिखाया गया था। प्रतिवादीगण ने वादपत्र के साथ प्रस्तुत स्थल योजना को चुनौती दी और दावा किया कि दिनांक 07.10.1996 के निर्णय द्वारा, इस माननीय न्यायालय ने राजस्व अपीलीय प्राधिकारी के दिनांक 10.12.1985 के निर्णय को शून्य और अमान्य घोषित नहीं किया है। आगे वाद दायर करने के वादी की वाद योग्यता को चुनौती देते हुए, प्रतिवादीगण ने न्यायनिर्णीत विषय का मुद्दा उठाया क्योंकि यह मुद्दा पहले ही पक्षकारों के बीच तय हो चुका था, जिसमें प्रतिवादीगण को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया गया था। आगे प्रतिवादीगण द्वारा कानूनी आपत्तियां उठाई गईं।

12. विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के अभिवचन के आधार पर निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए: -

"1. आया कि झुन्झुनू नगरपालिका की सीमा में भूमि खसरा नं. 535 स्थित थी जिसका रकबा 49 बीघा 9 बिस्वा थी जिसमें से 39 बीघा 14 बिस्वा जमीन राजस्थान सरकार ने आबादी विस्तारण हेतु नगरपालिका झुन्झुनू को, 8 बीघा 7 बिस्वा जमीन राज. हाऊसिंग बोर्ड झुन्झुनू को, 8 बिस्वा सड़क में निकल गई व 1 बीघा जमीन दयानन्द महिला शिक्षण संस्थान को आवंटित की गई। आवंटन के बाद ख.नं. 535 की कोई जमीन शेष नहीं रही ? — वादी

2. आया कि ख.नं. 535 में से 39 बीघा 14 विस्वा जमीन जो नगरपालिका को आवंटित की गई को, ख.नं. 535/1 तथा 8 बीघा 7 विस्वा जमीन जो हाऊसिंग बोर्ड को व 8 बिस्वा जमीन सड़क निकाली गई व 1 बीघा जमीन दयानन्द महिला शिक्षण संस्थान, झुन्झुनू को आवंटित की गई के ख.नं. 535/2 निर्धारित किए गए ? — वादी

3. आया कि वाद के पैरा सं.-4 में बताई आसा-पास की भूमि संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाई ए, बी, सी, डी भूमि नगरपालिका के कब्जे व नियंत्रण में है जो नगरपालिका झुन्झुनू के स्वामित्व की भूमि है ? — वादी

4. आया कि नगरपालिका झुन्झुनू प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है ?

5. आया कि ख.नं. 535 व ख.नं. 535/2 अलग अलग भूमि हैं व ख.नं. 535/2 का कुल रकबा 9 बीघा 15 विस्वा है जिसे रकबे में से प्रतिवादी नं.-1 की खातेदारी की आराजियात 11 विस्वा पुख्ता भूमि थी ? — प्रतिवादीगण

6. आया कि विवादित भूमि ख.नं. 535/2 का भाग है ? — प्रतिवादीगण

7. आया कि प्रतिवादी नं. - 2 ने ख.नं. 535/2 में वर्णित 11 विस्वा भूमि प्रतिवादी सं. -2 से जरिए विक्रय पत्र खरीदी व उसका नामान्तरण प्रतिवादी नं. 2 के नाम से हुआ तथा प्रतिवादी सं. -2 ने नगरपालिका झुन्झुनू में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण शुल्क जमा कराया ? — प्रतिवादीगण

8. आया कि वाद कारण के अभाव में वाद खारिज किए जाने योग्य है ? — प्रतिवादीगण

9. आया कि वाद कम कोर्टफीस पर पेश किया है । इसलिए खारिज किए जाने योग्य है ? — प्रतिवादीगण

10. आया कि वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है ? — प्रतिवादीगण

11. आया कि वाद मियाद बाहर है ? — प्रतिवादीगण

12. आया कि रेसजुडिकेटा के सिद्धांत के आधार पर वादी विवादित भूमि बाबत वाद दायर नहीं कर सकता ? — प्रतिवादीगण

13. आया कि प्रतिवादी सं.-2 द्वारा रूपान्तरण शुल्क जमा कराने पर नगरपालिका द्वारा इजाजत निर्माण जारी करने हेतु अनापति नोटिस जारी करने से वादग्रस्त भूमि बाबत स्वीकृति देने से वह एस्टॉपड है ?

14. आया कि मुकदमा सं. 104/96 न्यायालय एस.डी.ओ. झुन्झुनू में राज्य सरकार ने यह जवाब पेश किया कि यह भूमि ख.नं. 535/2 की है जिसका खातेदार कास्तकार अर्जुनराम है । इसलिए नगरपालिका झुन्झुनू का इस जमीन में हित नहीं होने से उन्हें दावा पेश करने का अधिकार नहीं है ? — प्रतिवादीगण

15. अनुतोष ?"

13. विचारण न्यायालय ने सभी मुद्दों पर पूर्ण परीक्षण का सहारा लिया और परीक्षण के दौरान, वादी द्वारा चार साक्षियों की जांच की गई

और 22 दस्तावेज वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए। खंडन में, प्रतिवादीगण ने एक साक्षी की जांच की और 29 दस्तावेज भी प्रस्तुत किए।

14. दोनों पक्षों के तर्कों को समाप्त करने के बाद और मामले में दायर लिखित प्रस्तुतियों पर भी विचार करने के बाद और वही विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध है, दिनांक 15.04.2015 को निर्णय सुनाया गया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 15.04.2015 के निर्णय द्वारा राय दी कि मुद्दा संख्या 12 एक कानूनी मुद्दा है, इसलिए, मुद्दा संख्या 12 को पहले मुद्दे के रूप में तय करना उचित है।
15. मुद्दा संख्या 12 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अंतर्गत समाहित *न्यायनिर्णीत विषय के सिद्धांत* के आवेदन से संबंधित है। विचारण न्यायालय ने मुद्दा संख्या 12 का निर्णय किया है और विचारण न्यायालय की राय थी कि पक्षकारों के बीच शीर्षक और कब्जे से संबंधित विवाद को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से तय कर दिया गया था, इसलिए, वादी का वाद *न्यायनिर्णीत विषय के सिद्धांत* द्वारा वर्जित है। मुद्दा संख्या 12 पर निर्णय के बाद, विचारण न्यायालय ने वाद को खारिज कर दिया है और उसने शेष मुद्दा संख्या 1 से 11 और 13 से 14 पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है। इस प्रकार, हमारे पास आधा-अधूरा सामग्री (निर्णय) है।
16. पूरे रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चला कि पूर्ण परीक्षण के बाद और दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने और अपने तर्क प्रस्तुत करने का

पूरा अवसर देने के बाद, विचारण न्यायालय ने सभी मुद्दों पर निर्णय आरक्षित कर लिया था, लेकिन उसने केवल मुद्दा संख्या 12 पर निर्णय सुनाया, जिसके परिणामस्वरूप सिविल वाद खारिज हो गया।

17. इस मामले में घटनाओं के क्रम के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि विचारण न्यायालय ने मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने के बाद, सिविल वाद का निपटारा केवल मुद्दा संख्या 12 के आधार पर किया है, लेकिन विचारण न्यायालय ने अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श दर्ज नहीं किया है, जिसका अर्थ है कि विचारण न्यायालय ने परीक्षण और दोनों पक्षों की अंतिम प्रस्तुतियों को समाप्त करने के बाद, केवल एक मुद्दे पर निर्णय सुनाया है और उपर्युक्त निष्कर्ष के आधार पर, अपीलकर्ता-वादी के सिविल वाद को खारिज कर दिया है।

18. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XIV, नियम 2 का प्रावधान निम्नानुसार पुनरुत्पादित किया गया है: -

"मुद्दों का निपटारा और विधि के मुद्दों पर या सहमत मुद्दों पर वाद का निर्धारण-

1.

2. न्यायालय सभी मुद्दों पर निर्णय सुनाएगा। -

(1) इस बात के बावजूद कि किसी मामले का निपटारा प्रारंभिक मुद्दे पर किया जा सकता है,

न्यायालय, उप-नियम (2) के प्रावधानों के अधीन, सभी मुद्दों पर निर्णय सुनाएगा।

(2) जहां एक ही वाद में विधि और तथ्य दोनों के मुद्दे उत्पन्न होते हैं, और न्यायालय की राय है कि मामला या उसका कोई हिस्सा केवल विधि के मुद्दे पर निपटाया जा सकता है, तो वह उस मुद्दे का पहले परीक्षण कर सकता है यदि वह मुद्दा संबंधित है-

(क) न्यायालय के क्षेत्राधिकार से, या

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा वाद पर लगाए गए प्रतिबंध से, और उस उद्देश्य के लिए, यदि वह उचित समझे, तो अन्य मुद्दों के निपटारे को तब तक के लिए स्थगित कर सकता है जब तक कि उस मुद्दे का निर्धारण नहीं हो जाता, और उस मुद्दे पर निर्णय के अनुसार वाद का निपटारा कर सकता है।"

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मेसर्स मोंगिया रियल्टी एंड बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड बनाम मानिक सेठी: सिविल अपील संख्या 814/2022 (दिनांक 31.01.2022 को तय किया गया) के मामले में यह निर्धारित किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश XIV, नियम 2 यह प्रावधान करता है कि जब एक ही वाद में विधि और तथ्य दोनों के मुद्दे उत्पन्न होते हैं, तो न्यायालय विधि के मुद्दे का पहले परीक्षण करके वाद का निपटारा कर सकता है। प्रावधान दो प्रकार के प्रश्नों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें विधि के प्रश्न के रूप में माना जा सकता है और वे हैं (i) न्यायालय का क्षेत्राधिकार; (ii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा वाद पर लगाया गया प्रतिबंध।

20. नुस्ली नेविल वाडिया बनाम आइवरी प्रॉपर्टीज एंड अन्य: (2020) 6

एससीसी 557 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने टिप्पणी की है कि यदि परिसीमा का मुद्दा एक स्वीकृत तथ्य पर आधारित है, तो इसे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XIV, नियम 2(2)(ख) के तहत एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जा सकता है, लेकिन यदि परिसीमा के मुद्दे से संबंधित तथ्य विवादित हैं तो इसे एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी निम्नानुसार पुनरुत्पादित की गई है: -

"47. एक मामले में परिसीमा का प्रश्न स्वीकृत तथ्यों के आधार पर तय किया जा सकता है, इसे आदेश XIV नियम 2(2)(ख) के तहत एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जा सकता है। एक बार जब परिसीमा के बारे में तथ्य विवादित हो जाते हैं, तो परिसीमा के प्रश्न का निर्धारण भी आदेश XIV नियम 2(2) के तहत एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में या किसी अन्य ऐसे विधि के मुद्दे के रूप में नहीं किया जा सकता है जिसके लिए विवादित तथ्यों की जांच की आवश्यकता होती है। तथ्यों के विवाद के मामले में, विधि के प्रश्न पर निष्कर्ष देने के लिए निर्धारण करना आवश्यक है। ऐसे प्रश्न को एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है। एक मामले में, क्षेत्राधिकार का प्रश्न भी उन तथ्यों के प्रमाण पर निर्भर करता है जो विवादित हैं। यदि तथ्य विवादित हैं और विधि का प्रश्न तथ्यों की जांच के परिणाम पर निर्भर करता है, तो इसे एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है, यह विधि का एक

स्थापित सिद्धांत है चाहे सिविल प्रक्रिया संहिता के संशोधन से पहले हो या 1976 में संशोधन के बाद।"

21. सत्यनाथ और अन्य बनाम सरोजमणि (उपर्युक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XIV, नियम 2 के प्रावधान पर फिर से विचार किया और रमेश बी. देसाई और अन्य बनाम बिपिन वाडीलाल मेहता और अन्य: (2006) 5 एससीसी 638 के मामले में निर्णय का पालन किया। इस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XIV, नियम 2 के अधिदेश को दोहराते हुए, विचारण न्यायालय को सभी मुद्दों पर निष्कर्ष दर्ज करने का निर्देश दिया ताकि प्रथम अपीलीय न्यायालय को दर्ज किए गए निष्कर्षों का लाभ मिल सके और यदि वाद केवल प्रारंभिक मुद्दे पर तय किया जाता है तो रिमांड की संभावना को समाप्त किया जा सके।
22. फिर से, द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, बेंगलोर बनाम द स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड अन्य: सिविल अपील संख्या 1347-1374 ऑफ 2022 के मामले में, नुस्ली नेविल वाडिया बनाम आइवरी प्रॉपर्टीज एंड अन्य (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि न्यायालय को सभी मुद्दों पर निर्णय करना चाहिए और सभी मुद्दों पर अपने निष्कर्ष देने चाहिए और केवल एक मुद्दे पर निर्णय नहीं सुनाना चाहिए। न्यायालयों पर यह कर्तव्य है कि वे सभी मुद्दों पर निर्णय करें और सभी मुद्दों पर निर्णय सुनाएं बजाय इसके कि वे एक

शॉर्टकट दृष्टिकोण अपनाएं और केवल एक मुद्दे पर निर्णय सुनाएं। ऐसे अभ्यास से अपीलीय न्यायालय पर बोझ बढ़ेगा और कई मामलों में, यदि तय किए गए मुद्दे पर निर्णय त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और अन्य मुद्दों पर, कोई निर्णय नहीं होता है और न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाता है, तो अपीलीय न्यायालय के पास मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए, ऐसी स्थिति से बचने के लिए, न्यायालयों को एक मामले में उठाए गए सभी मुद्दों पर निर्णय करना होगा और सभी संबंधित मुद्दों पर निष्कर्ष और निर्णय देना होगा।

23. जब भी न्यायालय ने विधि के मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय न करने का निर्णय लिया है और साक्ष्य दर्ज करने का विकल्प चुना है, तो विचारण न्यायालय सभी मुद्दों पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय करने के लिए बाध्य है और वह किसी भी मुद्दे को अनिर्णीत नहीं छोड़ सकता है। विचारण न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XIV, नियम 2 के तहत संशोधित प्रावधान से बाध्य है कि वह सभी मुद्दों पर निर्णय करे। फिर से सुखबीरी देवी बनाम भारत संघ: (2022) एससीसी ऑनलाईन एससी 1322 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नुस्ली नेविल वाडिया बनाम आइवरी प्रॉपर्टीज एंड अन्य (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय पर भरोसा किया है।

24. सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश XIV, नियम 2, जैसा कि संशोधित किया गया है, यह प्रावधान करता है कि न्यायालय सभी मुद्दों पर निर्णय सुनाएगा, इस तथ्य के बावजूद कि मामले का निपटारा एक प्रारंभिक मुद्दे पर किया जा सकता है, जैसा कि यहां ऊपर संदर्भित निर्णयों में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि पक्षकारों के अभिवचन के आधार पर पक्षकारों के बीच मुद्दों को तय करने के बाद, विचारण न्यायालय प्रारंभिक मुद्दों के आधार पर वाद का निपटारा करने पर विचार कर सकता है, लेकिन ये प्रारंभिक मुद्दे या तो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित होने चाहिए या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा वाद पर लगाए गए प्रतिबंध से संबंधित होने चाहिए।
25. उपर्युक्त पर विचार करने के बाद, यह तथ्य काफी स्पष्ट है कि परीक्षण की पूरी प्रक्रिया अपनाने और सभी मुद्दों पर तर्कों को समाप्त करने के बाद, विचारण न्यायालय ने केवल एक मुद्दे पर मामले का निपटारा किया है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XIV, नियम 2 के तहत निर्धारित विधि के प्रावधान के विपरीत है।
26. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए खजान सिंह बनाम हरियाणा राज्य (उपर्युक्त) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम मनीषराज (उपर्युक्त) के निर्णय का कोई आवेदन नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता के

आदेश XIV, नियम 2 के प्रावधान की माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों की एक श्रृंखला में अच्छी तरह से व्याख्या की गई है, जिसमें संशोधन-पूर्व स्थिति और संशोधन-पश्चात स्थिति शामिल है, लेकिन यहां रिकॉर्ड से, यह तथ्य स्थापित होता है कि विचारण न्यायालय ने 15.04.2015 को मामले का निर्णय करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XIV, नियम 2 के तहत प्रक्रिया का अनादर किया है, इस प्रकार, विचारण न्यायालय का निर्णय केवल इसी आधार पर रद्द किए जाने योग्य है।

27. अब, यह प्रश्न आता है कि क्या पूरे निर्णय को रद्द किया जाना आवश्यक है क्योंकि मुद्दा संख्या 12, जिसका पहले ही अपीलकर्ता के विरुद्ध निर्णय किया जा चुका था और अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने मुद्दा संख्या 12 पर निष्कर्षों को चुनौती देते हुए तर्क प्रस्तुत किए हैं, इसलिए, मैं इस मामले में कुछ बिंदुओं का उल्लेख करना उचित समझता हूं, हालांकि दिनांक 15.04.2015 का निर्णय और डिक्री, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XIV, नियम 2 के प्रावधान का पालन न करने के आधार पर ही रद्द किए जाने योग्य है।

28. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण तिथियों की समय-सीमा इंगित करती है कि प्रतिवादीगण द्वारा दायर राजस्व वाद संख्या 224/1983 को एस.डी.ओ., झुंझुनू द्वारा 19.03.1984 को खारिज कर दिया गया था और निर्णय को प्रदर्श-2 के रूप में

प्रदर्शित किया गया था। यह इंगित करता है कि विचारण न्यायालय ने 19.03.1984 को पक्षकारों के अधिकारों का निर्णय करते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कोई काशतकारी का अधिकार घोषित नहीं किया था। इसके अलावा, यह तथ्य भी स्थापित होता है कि वादी-नगर पालिका बोर्ड एस.डी.ओ. के समक्ष मूल कार्यवाही का पक्ष नहीं था। 19.03.1984 को पारित उपर्युक्त आदेश (प्रदर्श-2) से व्यथित होकर, राजस्व अपीलीय प्राधिकारी ('आरएए') के समक्ष एक अपील दायर की गई थी और वही 10.12.1985 (प्रदर्श-3) को स्वीकार कर ली गई थी, जिसमें अर्जुन राम को खसरा संख्या 535/02 की भूमि का खातेदार घोषित किया गया था। यहां भी, अपीलकर्ता-वादी एक पक्ष नहीं था। 15.01.1991 और 05.02.1991 को, नगर पालिका बोर्ड (वादी) ने खसरा संख्या 535/02 की 10 बिस्वा भूमि की बिक्री के लिए एक विज्ञापन जारी किया। 04.02.1994 को, भूमि अर्जुन राम के पक्ष में नामांतरित की गई। दिनांक 04.02.1994 के नामांतरण आदेश के विरुद्ध वादी द्वारा यहां पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, वही 28.09.1994 को खारिज कर दी गई थी और वही प्रदर्श-ए/7 के रूप में प्रदर्शित की गई थी। वादी द्वारा बिक्री के विज्ञापन के विरुद्ध अर्जुन राम द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर, वही 04.05.1994/12.07.1994 को रद्द और निरस्त कर दी गई थी और वही प्रदर्श-ए/16 के रूप में प्रदर्शित की गई थी। नगर पालिका बोर्ड ने एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 4675/1994 दायर की, जिसमें दिनांक 04.05.1994 के आदेश को

निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद, पक्षकारों के बीच कई कार्यवाही शुरू की गई और 26.12.1996 से 23.07.2008 के बीच निपटाई गई (प्रदर्श-ए/19, ए/20, ए/21, ए/22, ए/23 और ए/27)।

29. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त समय-सीमा के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि विवाद 10 बिस्वा भूमि से संबंधित है, जिसमें कब्जे का प्रतिद्वंद्वी दावा भी तर्कों के दौरान विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किया गया था, लेकिन यहां हम मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं, क्योंकि विचारण न्यायालय ने अन्य मुद्दों का निर्णय नहीं किया है।
30. यहां रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री या पक्षकारों द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.07.2001 (दिनांक 31.08.2001 को संशोधित) के निर्णय पर विचार किया है और राय दी है कि वादी-नगर पालिका बोर्ड द्वारा उठाए गए शीर्षक और कब्जे से संबंधित सभी विवाद अंतिम रूप से तय हो गए थे और वही न्यायनिर्णीत विषय के सिद्धांत द्वारा वर्जित हैं।
31. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में समाहित न्यायनिर्णीत विषय की अवधारणा और उसे आकर्षित करने के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सैयद मोहम्मद सालिए लब्बाई (मृत) द्वारा कानूनी उत्तराधिकारी और अन्य बनाम मोहम्मद हनीफ (मृत) द्वारा कानूनी

उत्तराधिकारी और अन्य: (1976) 4 एससीसी 780 के मामले में निर्णय के अनुसार निम्नलिखित सामग्री पूरी होनी चाहिए: -

- "(i) मामला पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्ष और सारवान रूप से विचाराधीन होना चाहिए;
- (ii) मामले को पूर्ववर्ती वाद में न्यायालय द्वारा सुना गया और अंतिम रूप से विनिश्चित किया गया होना चाहिए;
- (iii) पूर्ववर्ती वाद उन्हीं पक्षकारों के बीच या उन पक्षकारों के बीच होना चाहिए जिनके अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, उसी शीर्षक के तहत मुकदमा लड़ रहे हैं; और
- (iv) जिस न्यायालय में पूर्ववर्ती वाद दायर किया गया था, वह परवर्ती वाद या उस वाद का विचारण करने में सक्षम होना चाहिए जिसमें ऐसा मुद्दा बाद में उठाया गया है।"

32. उपर्युक्त स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विचारण न्यायालय को इस मुद्दे पर निर्णय करना आवश्यक है कि विचाराधीन वाद में मामला पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्ष और सारवान रूप से विचाराधीन था। गुरबक्स सिंह बनाम भूरालाल (उपर्युक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश II, नियम 2(3) और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के प्रावधान पर विचार करते हुए यह माना है कि पिछले वाद में अभिवचन को साक्ष्य में दायर करना प्रतिवादी का कर्तव्य है।

33. रिकॉर्ड के अवलोकन और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदन से भी पता चलता है कि प्रतिवादीगण-प्रतिवादी ने अपने मूल वाद

का कोई भी अभिवचन दायर नहीं किया था, जिसे 19.03.1984 को खारिज कर दिया गया था और आदेश की प्रति, प्रदर्श-2 के रूप में प्रदर्शित की गई थी। इस प्रकार, प्रतिवादीगण द्वारा शीर्षक का दावा राजस्व वाद संख्या 224/1983 से उत्पन्न हो रहा था, जिसे शुरू में एस.डी.ओ., झुंझुनू द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन अपील में, वही 10.12.1985 को प्रतिवादीगण के पक्ष में डिक्री किया गया था। काश्तकारी का अधिकार केवल 10.12.1985 को, राजस्व वाद संख्या 224/1983 में किए गए दावे के आधार पर प्रदान किया गया था, जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता (वादी) एक पक्ष नहीं था।

34. विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर विचार किए बिना कि यहां उठाया गया मुद्दा पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्ष और सारवान रूप से विचाराधीन था या नहीं, मुद्दा संख्या 12 का निर्णय किया, इसलिए, विचारण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के प्रावधान को समझे बिना मुद्दा संख्या 12 का निर्णय किया है।

35. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने सत्यनाथ और अन्य बनाम सरोजमणि (उपर्युक्त); सुलोचना अम्मा बनाम नारायणन नायर (उपर्युक्त); गुलाबचंद बनाम गुजरात राज्य (उपर्युक्त); दादू दयालु महासभा, जयपुर (ट्रस्ट) बनाम महंत राम निवास (उपर्युक्त); बंदोबस्ती आयुक्त और अन्य बनाम विट्ठल राव और अन्य (उपर्युक्त) और अब्दुल रहमान बनाम प्रसन्नी बाई और अन्य (उपर्युक्त) के

मामलों में निर्णयों पर भरोसा किया, ताकि न्यायनिर्णीत विषय के सिद्धांत की प्रयोज्यता पर अपनी दलील को पुष्ट किया जा सके। चूँकि सीपीसी की धारा 11 के प्रावधान को लागू करने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं हुई थीं, जबकि विचारण न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय पर विचार किया जा रहा था, इसलिए हम इस मामले में मुद्दा संख्या 12 के आधार पर और प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित विधि के सिद्धांत के आधार पर रिस ज्यूडिकाटा की प्रयोज्यता का निर्णय नहीं कर सकते।

36. अपीलकर्ता-वादी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने तर्क को रिस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत पर बल देने हेतु वी. राजेश्वरी बनाम टी.सी. सरवनबावा (उपर्युक्त); केनरा बैंक बनाम एन.जी. सुब्बाराया शेट्टी व अन्य (उपर्युक्त) तथा शकुंतला देवी बनाम कमला व अन्य (उपर्युक्त) के निर्णयों का भी उल्लेख किया। परंतु हम मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि विचारण न्यायालय धारा 11 सी.पी.सी. के अनुप्रयोग हेतु आवश्यक मूलभूत बातों पर विचार करने में असफल रहा है।

37. एस. रामचंद्र राव बनाम एस. नागभूषण राव व अन्य: **AIR 2022 SC 5317** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दरयाओ व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य: **AIR 1961 SC 1457** (संविधान पीठ का निर्णय) पर विचार करने के बाद यह टिप्पणी की कि यद्यपि *res judicata* का सिद्धांत तकनीकी पहलुओं वाला है,

किन्तु इसका आधार लोकनीति (public policy) पर टिका है। जनहित में यह अपेक्षित है कि सक्षम न्यायालयों द्वारा दिए गए बाध्यकारी निर्णयों को अंतिमता मिले और यह भी कि किसी व्यक्ति को एक ही प्रकार के वाद-विवाद से बार-बार परेशान न किया जाए।

38. इस विषय पर विधि का परीक्षण करने के पश्चात्, मेरा यह विचार है कि विचारण न्यायालय ने न केवल पक्षकारों के बीच वाद को अकस्मात् समाप्त कर दिया, बल्कि सभी मुद्दों पर निर्णय देने से भी बचा। विचारण न्यायालय की यह दृष्टि अत्यन्त निंदनीय है। इस न्यायालय के पास कोई विकल्प नहीं बचता सिवाय इसके कि मामले को पुनः विचारण न्यायालय को भेजा जाए, यहां तक कि मुद्दा संख्या 12 पर भी, क्योंकि उस पर विधिक सिद्धांत के आधार पर विचार नहीं किया गया था, जो कि उपबंध लागू करने से पूर्व अपेक्षित था।

39. उपर्युक्त के आलोक में, यह प्रथम अपील स्वीकृत किए जाने योग्य है और मामले को पुनः विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जाना आवश्यक है। साथ ही, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13.12.2023 में दीर्घकालीन वाद की पीड़ा का उल्लेख किया है, इसलिए यह उचित होगा कि विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाए कि अभिलेख प्राप्ति से चार माह की अवधि में सिविल वाद का निपटारा करे।

40. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, विद्वान अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, झुंझुनू द्वारा पारित सिविल वाद संख्या 5/2012 (101/2008) (81/2008) में दिनांक 15.04.2015 के निर्णय और आदेश से व्यथित, प्रस्तुत तत्काल एस.बी. सिविल प्रथम अपील, एतद्वारा स्वीकार की जाती है और दिनांक 15.04.2015 के निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है।
41. सिविल वाद को पुनः विचारण न्यायालय को नवसिरे से निर्णय हेतु भेजा जाता है, जिसमें मुद्दा संख्या 12 का भी निर्णय शामिल होगा, परंतु विचारण न्यायालय इस विषय पर पूर्व निर्णय दिनांक 15.04.2015 से प्रभावित न हो।
42. पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.04.2024 को उपस्थित हों।
43. यदि कोई लंबित प्रार्थना-पत्र हो, तो उसका भी निस्तारण किया जाता है।

(अशोक कुमार जैन), जे

पी.के.एस./269

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और

आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

